01/6/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित अप्रा.पक्ष प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल किया गया पृथक से पा- रित हो निर्णय सुनाया गया [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2024/332

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

भादरराम आदि बनाम लीलादेवी आदि

किस्म मुकदमाः–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्याः–143/2024 GCMS:- 2024/332

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 चक 4 एसपीडी के खाता संख्या 84 नया 59 पुराना 6.072 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि बहिस्सा बराबर अंकित है। प्रार्थीगण अपने नाम अंकित भूमि पर काश्त करते आ रहे है। अप्रार्थीगण के पिता व पति गणपत के नाम से इसी चक के खाता संख्या 22 नया 18 पुराना में 6.072 हैक्टर भूमि खातेदारी अंकित है। अंकित काश्तकार की मृत्यु हो चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 इनके जायज वारिसान है। प्रार्थीगण के नाम अंकित भूमि पत्थर नं. 66/31 के किला नं. 1–10–11–20–21 में सड़क व सड़क के पास पाईप लाईन है। प्रार्थीण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की सीमाएं अलग–अलग व स्पष्ट है। पत्थर नं. 66/331 के किला नं. 1 ता 5 में खाला भी है। जिससे दोनो पत्थर नंबर की सीमाएं स्पष्ट रूप से विभाजित है। सड़क व पाईप लाईन मध्य में होने से इनसे बाहर आकर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि में प्रवेश के कतई अधिकारी नही बनते है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि वाके चक 67/331 के किला नं. 21 ता 25 में पानी की पाईप लाईन है। किन्तु अप्रार्थीगण अपने खेत की पाईप लाईन से पानी ना लेकर प्रार्थीगण के अंकित खातेदार भूमि में स्थित पाईप लाईन से पानी का संबंध अपनी ढ़ाणी तक ले जाने का प्रयास करते रहते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि के खराब करना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण चिपते अंकित काश्तकार है। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना उपस्थित भी नही आये है। बिना विधिक अधिकार किसी अंकित खातेदार की भूमि में पाईप लाईन डालना उचित नही है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना उचित है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 77 चक 4 एसपीडी के खाता संख्या 84 नया 59 पुराना 6.072 हैक्टर कमाण्ड मय खाला भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी ना करें एवं बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नई पाईप लाईन डालने से निरूद्ध रहे। उक्त आदेश सार्वजनिक हित में अवाप्ति की कार्यवाही पर लागू नही होगा। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़